

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय:— राज्य में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के बेहतर उपचार हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष अंतर्गत “मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना” की स्वीकृति तथा इसके क्रियान्वयन के लिए Non Factor दवा Emicizumab (Proprietary Item) के क्रय पर होने वाले व्यय हेतु प्रथम वर्ष में कुल राशि रु० 26,33,63,490/- (रुपये छब्बीस करोड़ तैंतीस लाख तिरसठ हजार चार सौ नब्बे) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति ।

हीमोफीलिया एक दुर्लभ एवं गंभीर अनुवांशिक रक्त विकार (Genetic Blood Disorder) है, जिसमें शरीर में रक्त के थक्के (Blood Clots) बनने की प्रक्रिया धीमी या बाधित हो जाती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर (Clotting Factor) यथा AHG (Antihemophilic Globulin) नामक रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जो बहते हुए खून को रोकने का काम करता है। इसके कारण छोटी सी चोट अथवा कटने एवं दुर्घटना होने पर खून का बहाव लंबे समय तक नहीं रुकता, जो जानलेवा साबित हो सकता है।

2— वर्तमान में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों में Factor VIII के मरीजों को लगातार Factor देने से Inhibitor Develop हो जाता है, जिसके बाद Factor VIII का असर मरीजों पर नहीं हो पाता है। वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य समिति के हीमोफीलिया पोर्टल पर कुल 2181 मरीज पंजीकृत है, जिसमें में से 255 हीमोफीलिया मरीजों में Inhibitor Develop हो गया है, जिसमें Factor VIII काम नहीं करता है, किन्तु इन मरीजों को Bleeding होने पर तुरंत Factor VIII की Dose हर दो-दो घंटे पर मरीज को दिया जाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में Non Factor दवा Emicizumab से हीमोफीलिया के मरीजों का बेहतर उपचार संभव है।

3— सम्प्रति उत्तर प्रदेश, झारखण्ड एवं राजस्थान आदि राज्यों द्वारा हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के बेहतर उपचार हेतु Non Factor दवा Emicizumab का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मरीजों के बीमारी में सुधार देखा जा रहा है।

4— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को दी गयी अध्याचना के आलोक में Emicizumab दवा के क्रय हेतु निगम द्वारा दो बार निविदा प्रकाशित की गई किन्तु दोनों बार एकल निविदा M/s Roche Products (India) Pvt. Ltd. से प्राप्त हुई। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त दवा Proprietary Item (Single Manufacturer) है एवं समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये वांछित प्रतिवेदन में निर्माता संस्थान का नाम तथा प्रमाण-पत्र संलग्न है ।

5— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक—3391, दिनांक—07.09.2026 के द्वारा सूचित किया गया है कि BMSICL में प्राप्त निविदा के अनुसार Emicizumab के 30mg के एक vial की कीमत रु० 39,723/- है। निर्माता संस्थान के Patient Assistance Program under Blue Tree Program के तहत Emicizumab (Hemlibra) के प्रत्येक एक vial की खरीद पर दो vials मुफ्त देने का प्रावधान है। औसतन 30kg Body Weight मरीज को एक साल में 78 vials की जरूरत के हिसाब से 255 मरीजों के लिये कुल $78 \times 255 = 19,890$ vials की आवश्यकता होगी, जिसपर कुल 26,33,63,490/- (रुपये छब्बीस करोड़ तैंतीस लाख तिरसठ हजार चार सौ नब्बे) मात्र का व्ययभार आकलित है।

349(7A)
01.10.2026

6— Non Factor दवा Emicizumab एक Proprietary Item (Single Manufacturer) है । F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, CH-4058 Basel, Switzerland, इस दवा का एकमात्र निर्माता है। इसका उत्पादन इकाई Chugai Pharma Manufacturing Co. Ltd. 16-3, Kiyohara Kogyodanchi Tochigi Utsunomiya City, Japan है। भारत में इस दवा के आयात हेतु M/s Roche Products (India) Pvt. Ltd. Maharashtra, Bhiwandi, Thane एकमात्र प्राधिकृत फर्म है।

7— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विभागीय समीक्षा हेतु निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा मरीजों की प्राथमिकता एवं Dosing Schedule के मानक के अनुसार प्रतिवेदित करते हुए जनहित में क्रय किये जाने तथा इस पर होने वाले आकलित व्यय की कुल राशि रु० 26,33,63,490/- (रुपये छब्बीस करोड़ तैंतीस लाख तिरसठ हजार चार सौ नब्बे) मात्र की अनुमान्यता के साथ अनुशंसा प्रदान की गयी है ।

8— इस योजना के अधीन प्रथम वर्ष में इसके क्रियान्वयन हेतु Non Factor दवा Emi izumab (Proprietary Item) का क्रय किये जाने हेतु कुल राशि रु० 26,33,63,490/- (रुपये छब्बीस करोड़ तैंतीस लाख तिरसठ हजार चार सौ नब्बे) मात्र का व्ययभार प्राक्कलित है। भविष्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मरीजों की संख्या (जिनमें Inhibitor Develop हो चुका हो) के अनुसार राशि की वृद्धि/कमी होगी।

9— भविष्य में इस दवा के Proprietary Item (Single Manufacturer) ना होने अथवा एक से अधिक Manufacturer होने की स्थिति में BMSICL, बिहार, पटना के द्वारा पुनः खुली निविदा जारी की जा सकेगी।

10— उक्त योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को नामित किया जाता है। समिति दवाओं का क्रय, सुरक्षित भंडारण, वितरण तथा इसके उपयोग के संबंध में निर्धारित/वित्तीय मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाना सुनिश्चित करेगी।

11— इस पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत मांग संख्या-20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष- 0012-मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष विपत्र कोड- 20-2235602000012, विषय शीर्ष- (31-06) सहायक अनुदान-गैर वेतन मद अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा। इस कार्य हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को उनके पी०एल० खाते में राशि आवंटित की जायेगी।

12— वर्णित स्थिति में राज्य में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के बेहतर उपचार हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष अंतर्गत “मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना” की स्वीकृति तथा इसके क्रियान्वयन के लिए Non Factor दवा Emicizumab (Proprietary Item) के क्रय पर होने वाले व्यय हेतु प्रथम वर्ष में कुल राशि रु० 26,33,63,490/- (रुपये छब्बीस करोड़ तैंतीस लाख तिरसठ हजार चार सौ नब्बे) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

13— इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक- 30.09.2026 के मद संख्या-24 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है ।

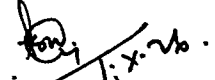
349(7A)
01.10.2026

14- संकल्प प्रारूप पर सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-07/बजट-46-17/2026 के पृ0- 41/टि0 में प्राप्त है ।

15- यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-07/ बजट-46-17/2026-349(नम)/स्वा0, पटना, दिनांक-01.10.2026

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

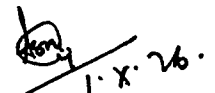
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार के सचिव/ सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सचिव/ सभी विभाग, बिहार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/ सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/ सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


1.10.26.
सरकार के अपर सचिव।